न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 47/2018(जी.सी.एम.एस.2018/ 00106)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. मोहन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति सैनीसिख निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर।		1. महेन्द्र कुमार पुत्र सुरजा राम जाति बिश्नोई निवासी चमारखेडा तहसील सादूलशहर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। 3. रेशम सिंह पुत्र महेन्दर सिंह जाति सैनी निवासी 47 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 22.05.2018

उपस्थितः 1.श्री दलजीत सिंह अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री सतीश कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3.श्री रमेश चन्द गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3

--निर्णय-- **दिनांकः 13.06.2024**

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 47 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 49/50 के मुरब्बा नम्बर 25 के 2.354 हैक्टर नहरी भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 85/87 के मुरब्बा नम्बर 33, 37, 42, 53, 54 के कुल 3.188 हैक्टर नहरी बारानी भूमि के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त तमाम 5.542 हैक्टर भूमि प्रार्थी की एकल खाता की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी अपाहिज है, तथा अक्सर बीमार रहता है, और वृद्व है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि पर काफी खर्चा करके उक्त भूमि को उपजाउ बनाया है। अप्रार्थी जो कि एक धनायढ व्यक्ति है तथा राजनैतिक प्रभाव रखता है। इसलिए अप्रार्थी, प्रार्थी की उक्त भूमि को फर्जी दस्तावेज की आड में जबरदस्ती हथियाना चाहता है और उक्त भूमि पर जोर जबरदस्ती से काबिज होना चाहता है, जिसके लिये वह कई बार असफल प्रयास भी कर चुका है। आज से 10 रोज पूर्व अप्रार्थी ने प्रार्थी की उक्त भूमि पर जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया एंव प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार ने अप्रार्थी को उक्त भूमि पर काबिज होने नही दिया। आज दिनांक 21.05.2018 को प्रार्थी अप्रार्थी से मिला और उससे कहा कि वह मेरी खातेदारी कब्जाशुदा भूमि में कब्जा करने से बाज व ममनू रहे तो अप्रार्थी ने कहा कि मैने तो तुम्हारी उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करके तुम्हारी भूमि को खूर्द बूर्द करके रहूंगा, तुमने जो करना है कर लो। यदि अप्रार्थी प्रार्थी की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को अपनी भूमि से महरूम होना पडेगा। प्रार्थी ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोक पाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि ताफैसला दावा अप्रार्थी के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर जारी की जावें कि चक 47 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 49/50 के मुरब्बा नम्बर 25 के 2.354 हैक्टर नहरी भूमि व चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 85/87 के मुरब्बा नम्बर 33, 37, 42, 53, 54 के कुल 3.188 हैक्टर नहरी बारानी भूमि ,उक्त तमाम 5.542 हैक्टर भूमि को फर्जी दस्तावेज की आड में रहन, बैय, वसीयत करने से बाज व ममनू रहे और प्रार्थी के कब्जा में स्वंय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

दखल अंदाजी करने या किसी अन्य व्यक्ति से दखल अंदाजी करवा पाने से वाज व ममनू रहे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

2- प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, राईट एंव टाईटल अप्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी रेशम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर रेशम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह को बतौर अप्रार्थी संख्या 3 के रूप में संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया। जिसके अनुसार सही तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी मोहन सिंह, अप्रार्थी संख्या 3 रेशम सिंह का सगा भाई है। सन् 2014 में भाईयों के बंटवारा के समय वादगत भूमि प्राप्त हुई है। प्रार्थी द्वारा पंजीकृत दानपत्र दिनांक 03.02.2014 से चक 47 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 49/50 के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 2.354 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा व चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 87/79 के मुरब्बा नम्बर 33,37,42,53,54 की 3.087 हैक्टेयर नहरी, 0.101 हैक्टेयर बारानी कुल 3.188 हैक्टेयर नहरी बारानी भूमि अप्रार्थी संख्या 3 रेशम सिंह को दान कर दिया और दानपत्र की रूह से उक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 3 रेशम सिंह काबिज काश्त है। पंजीकृत दानपत्रों के जरिये अप्रार्थी को प्राप्त हुई आराजी पर मोहन सिंह वादी ने बैंक से लोन उठा रखा था। इस कारण दानपत्रों का इन्तकाल अप्रार्थी के नाम दर्ज नहीं हो सका। इतनी बडी राशि अप्रार्थी के पास नहीं होने पर इंगलैड मे कमाई करने वापिस चला गया और इंगलैंड से वापिस आने पर दिनांक 18.05.2018 को लोन की राशि बैंक को अदा कर दी है। अप्रार्थी द्वारा लोन की राशि अदा कर देने के बाद प्रार्थी मोहन सिंह के मन में बेईमानी आ गई और अप्रार्थी के पक्ष में दानपत्रों का इन्तकाल रोकने के लिए वादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह करके दिनांक 22.05.2018 को एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। वादी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी होने से अप्रार्थी के पक्ष में दानपत्रों को इन्तकाल नहीं हो रहा है। प्रार्थी को कोई वादकारण हासिल नहीं है, इस कारण दावा खारिज किये जाने योग्य है। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 8 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया। प्रार्थी समरप्रताप की ओर से अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया गया।

3- हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। उस पर मनन किया, गौर किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी एवं जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण एंव संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन कर हम प्रकरण को निम्न 3 बिन्दूओं के आधार पर निर्णीत करना विधिसंगत समझते हैः-

(i)प्रथम दृष्टया मामलाः- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का प्रर्याप्त आधार प्राप्त हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वादग्रस्त आराजी चक 47 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 49/50 के मुरब्बा नम्बर 25 के 2.354 हैक्टर नहरी भूमि व चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 85/87 के मुरब्बा नम्बर 33, 37, 42, 53, 54 के कुल 3.188 हैक्टर नहरी बारानी भूमि प्रार्थी के नाम एकल खाता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी, प्रार्थी की उक्त भूमि को फर्जी दस्तावेज की आड़ में जबरदस्ती हथियाना चाहता है और उक्त भूमि पर जोर जबरदस्ती से काबिज होना चाहता है, जिसके लिये वह कई बार असफल प्रयास भी कर चुका है। अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि मैं तुम्हारी उक्त भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करके तुम्हारी भूमि को खुर्द बुर्द कर दूंगा। यदि अप्रार्थी, प्रार्थी की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को अपनी भूमि से महरूम होना पड़ेगा। प्रार्थी ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोक पाने का अधिकारी है। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 3 ने कथन किये कि प्रार्थी मोहन सिंह, अप्रार्थी संख्या 3 रेशम सिंह का सगा भाई है। वादगत भूमि सन् 2014 में भाईयों के बंटवारा में प्राप्त हुई है। प्रार्थी मोहन सिंह द्वारा पंजीकृत दानपत्र दिनांक 03.02.2014 से चक 47 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 49/50 के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 2.354 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा व चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 87/79 के मुरब्बा नम्बर 33,37,42,53,54 की 3.087 हैक्टेयर नहरी, 0.101 हैक्टेयर बारानी कुल 3.188 हैक्टेयर नहरी बारानी भूमि अप्रार्थी संख्या 3 रेशम सिंह को दान कर दिया और दानपत्र की रूह से उक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 3 रेशम सिंह काबिज काश्त है। वादी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी होने से अप्रार्थी के पक्ष में दानपत्रों को इन्तकाल नहीं होगा। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादगत भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत अर्ज किया गया है। प्रार्थी मोहन सिंह द्वारा वादगत भूमि चक 47 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 49/50 के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 2.354 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा व चक 47 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 87/79 के मुरब्बा नम्बर 33, 37, 42, 53, 54 की 3.087 हैक्टेयर नहरी, 0.101 हैक्टेयर बारानी कुल 3.188 हैक्टेयर नहरी बारानी भूमि का पंजीकृत दानपत्र दिनांक 03.02.2014 को अप्रार्थी संख्या 3 रेशम सिंह के पक्ष में निष्पादित करवा दिया था। दानपत्र दिनाक 03.02.2014 उपपंजीयक श्रीकरणपुर से पंजीबद्ध हैं। जो की एक वैध दस्तावेज है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष पंजीकृत दानपत्र को निरस्त कर दिया जा सकता है और पंजीकृत दानपत्र दिनांक 03.02.2014 को निरस्त व अवैध घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। लिहाजा प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है।

<u>(ii)सुविधा का संतुलन</u>:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। लिहाजा प्रार्थी मोहन सिंह द्वारा अपने भाई अप्रार्थी संख्या 3 रेशम सिंह हक में निष्पादित करवाए गए पंजीकृत दानपत्र के सम्बन्ध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अतः प्रार्थी सुविधा के संतुलन को भी अपने पक्ष में साबित करने पूर्णतया असफल रहा है।

<u>(ii)अपूरणीय क्षति</u>:- चूंकि पूर्व विवेचित दोनो बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में अस्थायी व्यादेश दिया जाता तो अप्रार्थी संख्या 3 को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाना विधिसंगत नहीं समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 13.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

{श्योराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर